न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– **शंकर लाल सैनी**, RAS

धार्मिक एन्यूटी प्रा0 पत्र सं0 01/2017

मंदिर श्री नरसिंह जी वाके ग्राम बडी का खेडा, बगरू जरिये पुजारीगण

1. जुगल किशोर पुत्र स्व0 श्री कालूराम, जाति–ब्राम्हण, निवासी–प्लाट नं0 11–12, शिव कॉलोनी, पाल वाले बालाजी के पीछे, बस स्टेण्ड बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
2. श्रवण लाल पुत्र स्व0 श्री कालूराम, जाति–ब्राम्हण, निवासी–प्लाट नं0 11–12, शिव कॉलोनी, पाल वाले बालाजी के पीछे, बस स्टेण्ड बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर।
3. दुर्गा सहाय पुत्र स्व0 श्री कालूराम, जाति–ब्राम्हण, निवासी–प्लाट नं0 11–12, शिव कॉलोनी, पाल वाले बालाजी के पीछे, बस स्टेण्ड बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर।
4. राजकुमार पुत्र स्व0 श्री कालूराम, जाति–ब्राम्हण, निवासी–प्लाट नं0 11–12, शिव कॉलोनी, पाल वाले बालाजी के पीछे, बस स्टेण्ड बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर।
5. संतोष देवी पत्नी स्व0 श्री दिनेश पुत्र वधू स्व0 श्री कालूराम, जाति–ब्राम्हण, निवासी–प्लाट नं0 11–12, शिव कॉलोनी, पाल वाले बालाजी के पीछे, बस स्टेण्ड बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण,

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थी,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 सपठित राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954 एन्यूटी प्राप्त करने हेतु अधिकृत करने बावत्)

उपस्थितिः–

1. श्री अशोक उपाध्याय, अभिभाषक, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 23.03.2022**

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मंदिर श्री नरसिंह जी वाके ग्राम बडी का खेडा, बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर की सेवा पूजा पूर्व में बतौर पुजारी भोलूराम पुत्र श्री सूरजमल कर रहे थे। भोलूराम के दो पुत्र ज्ञानाराम एवं कालूराम हुए। ज्ञानाराम अविवाहित फौत हुए तथा कालूराम के प्रार्थीगण वारिसान है। दिनांक 08.09.2000 को कालूराम के स्वर्गवास के पश्चात् मंदिर की सेवा पूजा बहैसियत पुजारी प्रार्थीगण सेवा पूजा कर रहे है। मंदिर श्री नरसिंह जी के तत्कालीन पुजारी श्री भोलूराम पुत्र श्री सूरजमल के पक्ष में एन्यूटी राशि प्राप्त करने हेतु प्रपत्र 12 (क) दिनांक 09.11.1964 को व प्रपत्र 12 (ख) दिनांक 20.02.1967 को जारी किया गया है। मंदिर की एन्यूटी राशि (वार्षिक वृत्ति) कालूराम पुत्र श्री भोलूराम पुत्र सूरजमल द्वारा प्राप्त की जा रही थी। मृतक स्व0 श्री कालूराम पुत्र स्व0 श्री भोलूराम के उत्तराधिकारीगण/प्रार्थीगण द्वारा उनके देहान्त के पश्चात् मंदिर श्री नरसिंह जी के भोगराग से सेवा पूजा आदि का प्रबंध किया जा रहा है और मंदिर

प्रार्थीगण के ही अधिकार व कब्जे में है। अतः मंदिर की एन्यूटी राशि (वार्षिक वृत्ति) बहेसियत उत्तराधिकारी/पुजारी प्रार्थीगण के पक्ष में जारी करने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर प्रकरण में तहसीलदार, सांगानेर से मंदिर की सेवा पूजा एवं भोगराग की राशि एन्यूटी पाने का जायज अधिकारी की सूचना प्राप्त की गई तथा प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली मय टिप्पणी के चाही गई एवं नोटिस अन्तर्गत नियम 39(3) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954 जारी किया गया है। जारी नोटिस के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वज मंदिर श्री नरसिंह जी वाके ग्राम बडी का खेडा, बगरू, तहसील–सागांनेर, जिला–जयपुर की सेवा पूजा करते आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता बतौर पुजारी कालूराम पुत्र स्व0 श्री भोलूराम पुजारी मंदिर श्री नरसिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 08.09.2000 को होने पर मृतक के वारिसान उत्तराधिकारी है और श्री कालूराम पुत्र श्री भोलूराम पुत्र स्व0 श्री सूरजमल के देहान्त पश्चात् मंदिर श्री नरसिंह जी के भोगराग, सेवा पूजा आदि का प्रबंध प्रार्थीगण द्वारा ओसरेवार किया जा रहा है एवं मंदिर प्रार्थीगण के अधिकार एवं कब्जे में है। देवस्थान विभाग द्वारा जारी प्रपत्र 12 ख में वार्षिकी के भुगतान की आज्ञा क्रमांक देव/06/66/5452 दिनांक 20.02.1967 एवं डिप्टी कमिशनर जागीर, जयपुर द्वारा जारी प्रपत्र 12 क क्रमांक 1972 दिनांक 05.11.1964 द्वारा मंदिर श्री नरसिंह जी पुजारी श्री भोलूराम पुत्र स्व0 श्री सूरजमल को वार्षिक वृति की राशि 03 रूपये 27 पैसे स्वीकृत किये गये है। प्रार्थीगण के दादा स्व0 श्री भोलूराम के स्वर्गवास के पश्चात् उनके पुत्र कालूराम पुत्र स्व0 श्री भोलूराम मंदिर के उत्तराधिकारी हुए, परन्तु वार्षिक वृति के आदेश उनके पक्ष में जारी नही कराये गये है। स्व0 श्री कालूराम का निधन दिनांक 08.09.2000 को हो चुका है। वर्ष 1964 में प्रपत्र 12 क एवं वर्ष 1967 में 12 ख जारी होने के पश्चात् स्व0 श्री कालूराम पुत्र श्री भोलूराम द्वारा अपने जीवनकाल में वार्षिक वृति के संबंध में प्रपत्र 12 क व ख जारी नही कराये गये है। अतः प्रार्थीगण स्व0 श्री कालूराम पुत्र स्व0 श्री भोलूराम के वारिसान एवं उत्तराधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मंदिर श्री नरसिंह जी ग्राम बडी का खेडा, बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर की एन्यूटी (भोग राशि)/वार्षिक वृत्ति बहेसियत उत्तराधिकारी/पुजारी प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश जारी करे।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई है :–

1. स्व0 श्री कालूराम पुत्र स्व0 श्री भोलूराम पुत्र स्व0 श्री सूरजमल की मृत्यु दिनांक 08.09.2000 का प्रमाण पत्र।
2. प्रपत्र 12 क क्रमांक 1972 दिनांक 05.11.1964 एवं प्रपत्र 12 ख क्रमांक देव/06/66/5452 दिनांक 20.02.1967 की प्रतियां।
3. श्री कैलाश कुमावत प्रधान, पंचायत समिति, सांगानेर, जयपुर द्वारा दिनांक 15.06.2016 को भोलूराम पुत्र सूरजमल शर्मा के सजरा खानदान एवं मंदिर श्री नरसिंह जी की पूजा–अर्चना प्रार्थीगण द्वारा किये जाने का प्रमाण पत्र।
4. श्री मोहम्मद रफीक, पार्षद, नगरपालिका मण्डल, बगरू द्वारा दिनांक 17.04.2016 को भोलूराम पुत्र सूरजमल शर्मा के सजरा खानदान एवं मंदिर श्री नरसिंह जी की पूजा–अर्चना प्रार्थीगण द्वारा किये जाने का प्रमाण पत्र।
5. श्री मालूराम मीणा, पूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका मण्डल, बगरू द्वारा दिनांक 11.03.2016 को भोलूराम पुत्र सूरजमल शर्मा के सजरा खानदान एवं मंदिर श्री नरसिंह जी की पूजा–अर्चना प्रार्थीगण द्वारा किये जाने का प्रमाण पत्र।
6. मृत्यु दिनांक 08.09.2000 का प्रमाण पत्र स्व0 श्री कालूराम पुत्र स्व0 श्री भोलूराम शर्मा की प्रति।

अतिरिक्त कलक्टर (...) जयपुर जिला–जयपुर

पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस तहसीलदार, सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित विन्दुओं को सही ठहराते हुए कथन किया कि ग्राम बडी का खेडा स्थित मंदिर श्री नरसिंह जी महाराज की सेवा पूजा मृतक पुजारी श्री भोलूराम पुत्र सूरजमल के वंशज एवं स्व0 कालूराम पुत्र भोलूराम के पुत्रान् जुगलकिशोर, श्रवणलाल, दुर्गालाल, रामकुवार पि. कालूराम एवं श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्व0 श्री दिनेश (पुत्र वधू स्व0 कालूराम) निवासी–ग्राम बगरू कलां द्वारा ओसरेवार की जा रही है। तहसील कार्यालय में एन्यूटी संवंधी कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मृतक स्व0 श्री कालूराम पुत्र स्व0 श्री भोलूराम पुत्र स्व0 श्री सूरजमल को नियमानुसार एन्यूटी राशि दिये जाना उचित है।

हमनें उभयपक्षों की बहस को गौर से सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा स्व0 श्री कालूराम पुत्र स्व0 श्री भोलूराम पुत्र स्व0 श्री सूरजमल पुजारी का दिनांक 08.09.2000 को निधन होने पर प्रार्थीगण द्वारा मृतक के वारिसान/उत्तराधिकारी होने के कारण मंदिर की वार्षिक वृति/एन्यूटी प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा से प्रकरण से संबंध में मूल पत्रावली प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया था, जिसके संदर्भ में प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा द्वारा पत्रांक जागीर/2021/14 दिनांक 08.02.2021 द्वारा मंदिर श्री नरसिंह जी वाके ग्राम बडी का खेडा, बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर से संबंधित धार्मिक जागीर रजिस्टर की प्रति प्रेषित की गई है, जिसमें रजिस्टर क्रमांक 256 पर माफी मंदिर नरसिंह जी पुजारी भोलूराम एवं सूरजमल का नाम अंकित है तथा एन्यूटी राशि 03 रूपयें 27 पैसे अंकित है। पत्र के संलग्न धार्मिक रजिस्टर की प्रति प्रेषित की गई। इसके अतिरिक्त तहसीलदार, सांगानेर से धार्मिक एन्यूटी प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट चाही गई जिसके संदर्भ में तहसीलदार, सांगानेर द्वारा उनके पत्रांक भू.अ./17/996 दिनांक 17.02.2017 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम बडी का खेडा स्थित मंदिर श्री नरसिंह जी महाराज की सेवा पूजा मृतक पुजारी श्री भोलूराम पुत्र सूरजमल के वंशज एवं स्व0 कालूराम पुत्र भोलूराम के पुत्रान् जुगलकिशोर, श्रवणलाल, दुर्गालाल, रामकुवार पि. कालूराम एवं श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्व0 श्री दिनेश (पुत्र वधू स्व0 कालूराम) निवासी–ग्राम बगरू कलां द्वारा ओसरेवार की जा रही है। जागीर शाखा से प्राप्त जागीर रजिस्टर के अनुसार जागीर रजिस्टर के क्रमांक 256 में अंकितानुसार मंदिर श्री नरसिंह जी वाके ग्राम बडी का खेडा के पुजारी भोलूराम पुत्र श्री सूरजमल है। जागीर रजिस्टर के अनुसार इनको 03 रूपयें 27 पैसे एन्यूटी राशि स्वीकृत है। जागीर कमिशनर द्वारा जारी प्रपत्र 12 ख एवं डिप्टी कमिशनर, जागीर, जयपुर द्वारा जारी प्रपत्र 12 ए बडी का खेडा स्थित मंदिर के लिए भोलूराम पुत्र सूरजमल को एन्यूटी राशि 03 रूपयें 27 पैसे स्वीकृत की गई है।

उक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों के अनुसार मंदिर श्री नरसिंह जी बडी का खेडा, बगरू की एन्यूटी राशि पूर्व में पुजारी स्व0 श्री भोलूराम पुत्र स्व0 श्री सूरजमल शर्मा को स्वीकृत थी। इनके वारिसान स्व0 श्री कालूराम के पक्ष में एन्यूटी राशि स्वीकृति के संबंध में कोई आज्ञा/आदेश जारी नही होना पाये गये है। स्व0 श्री कालूराम पुत्र स्व0 श्री भोलूराम के वारिसान द्वारा एन्युटी राशि के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर मंदिर श्री नरसिंह जी बडी का खेडा, बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर की सेवापूजा एवं भोगराग के लिये प्राप्त हो रही एन्यूटी राशि 03 रूपयें 27 पैसे को प्राप्त करने के लिए प्रार्थीगण सं0 1 लगा0 5 को अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शंकर लाल सैनी)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते